

# न्यायालय, समाहर्ता, सह-जिला दण्डाधिकारी, खगड़िया।

आदेश-पत्रक

014 B-58/2013-18

(देखें अभिलेख एक्ट, 1946 का नियम 139)

आदेश पत्रक-ता०.....से.....

जिला-खगड़िया.....सा०.....सन्.....

केस का प्रकार:-बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 के अन्तर्गत जप्त विदेशी शराब को विनष्ट करने के संबंध में।

आदेश की क्रम सं० और तारीख 1	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02.	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख-सहित 3.
03.07.2017	<p>पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के पत्रांक 3228/सी०आर० दिनांक 24.06.2017 द्वारा खगड़िया (नगर) थाना काण्ड संख्या-48/2017, दिनांक 28.01.2017 धारा-30(ए०) बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम-2016 के अंतर्गत जप्त किये गये विदेशी शराब- Royal Stag Whisky कम्पनी का 750 एम०एल० का 14 (चौदह) बोतल, एवं 375 एम०एल० का 22 (बाईस) बोतल एवं मैकडवल्स कम्पनी का 180 एम०एल० का 40(चालीस) बोतल विदेशी शराब, जिसमें माननीय न्यायालय के आदेशानुसार 750 एम०एल० का 01(एक) बोतल, 375 एम०एल० का 02 (दो) एवं 180 एम०एल० का 04 (चार) बोतल विदेशी शराब जॉच हेतु रसायन परीक्षक, बिहार पटना को भेजा गया है। तथा शेष विदेशी शराब 750 एम०एल० का 13 (तैरह) बोतल, 375 एम०एल० का 20 (बीस) बोतल एवं 180 एम०एल० का 36 (छत्तीस) बोतल कुल-23.73 लीटर शराब थाना के मालखाना में रखा हुआ है।</p> <p>750 एम०एल० का Royal Stag कम्पनी का 13 (तैरह), 375 एम०एल० का 20 (बीस) बोतल, एवं 180 एम०एल० का 36 (छत्तीस) बोतल विदेशी शराब कुल-23.73 लीटर सड़ने गलने की पूर्ण संभावना एवं स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल असर को लेकर विनष्ट करने की अनुमति का प्रस्ताव पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के माध्यम से प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के साथ तलासी सह जब्ती सूची, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सदर खगड़िया का पर्यवेक्षण टिप्पणी एवं प्रतिवेदन-02 संलग्न है।</p> <p>अतः उक्त प्रस्ताव के आलोक में बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-57 में प्रदत्त शक्ति के आलोक में उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया को निदेश दिया जाता है कि खगड़िया नगर थाना काण्ड संख्या-48/2017 में देशी शराब/विदेशी शराब कुल-23.73 (तैरह) लीटर 730 एम०एल०) लीटर को अपने देख रेख में विनष्ट करें, तथा अनुपालन प्रतिवेदन न्यायालय में समर्पित करेंगे।</p> <p>आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक, खगड़िया/थानाध्यक्ष, खगड़िया नगर /अधीक्षक उत्पाद, खगड़िया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ भेजी जाय।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p>	<p>आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख-सहित</p> <p>1.06.2017 को, बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम-2016 के अंतर्गत जप्त किये गये विदेशी शराब- Royal Stag Whisky कम्पनी का 750 एम०एल० का 14 (चौदह) बोतल, एवं 375 एम०एल० का 22 (बाईस) बोतल एवं मैकडवल्स कम्पनी का 180 एम०एल० का 40(चालीस) बोतल विदेशी शराब, जिसमें माननीय न्यायालय के आदेशानुसार 750 एम०एल० का 01(एक) बोतल, 375 एम०एल० का 02 (दो) एवं 180 एम०एल० का 04 (चार) बोतल विदेशी शराब जॉच हेतु रसायन परीक्षक, बिहार पटना को भेजा गया है। तथा शेष विदेशी शराब 750 एम०एल० का 13 (तैरह) बोतल, 375 एम०एल० का 20 (बीस) बोतल एवं 180 एम०एल० का 36 (छत्तीस) बोतल कुल-23.73 लीटर शराब थाना के मालखाना में रखा हुआ है।</p> <p>750 एम०एल० का Royal Stag कम्पनी का 13 (तैरह), 375 एम०एल० का 20 (बीस) बोतल, एवं 180 एम०एल० का 36 (छत्तीस) बोतल विदेशी शराब कुल-23.73 लीटर सड़ने गलने की पूर्ण संभावना एवं स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल असर को लेकर विनष्ट करने की अनुमति का प्रस्ताव पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के माध्यम से प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के साथ तलासी सह जब्ती सूची, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सदर खगड़िया का पर्यवेक्षण टिप्पणी एवं प्रतिवेदन-02 संलग्न है।</p> <p>अतः उक्त प्रस्ताव के आलोक में बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-57 में प्रदत्त शक्ति के आलोक में उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया को निदेश दिया जाता है कि खगड़िया नगर थाना काण्ड संख्या-48/2017 में देशी शराब/विदेशी शराब कुल-23.73 (तैरह) लीटर 730 एम०एल०) लीटर को अपने देख रेख में विनष्ट करें, तथा अनुपालन प्रतिवेदन न्यायालय में समर्पित करेंगे।</p> <p>आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक, खगड़िया/थानाध्यक्ष, खगड़िया नगर /अधीक्षक उत्पाद, खगड़िया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ भेजी जाय।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p>

समाहर्ता, खगड़िया

समाहर्ता, खगड़िया